न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 111/2017

1. गुरमेल सिह पुत्र निका सिह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर

--वादी--

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 17/6/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 58 के मु0 नं0 47,48 की कुल 5.566 हैक्टर नहरी भूमि मे प्रार्थी के नाम 1.325 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 30 के मु0 नं0 47,48 की कुल 3.542 हैक्टर नहरी भूमि मे वादी के नाम 0.788 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 3/2 के मु0 नं0 47 के किला नं0 11,22,23,24,25 की कुल 5 बीघा भूमि अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

प्रार्थी का सही नाम गुरमेल सिह पुत्र निका सिह है। प्रार्थी के वोटर कार्ड दिनांक 15.04.1995 की वोट लिस्ट मे गुरमेल सिह पुत्र निका सिह है व 10 एच के राशन कार्ड संख्या 746 मे गुरमेल सिह पुत्र निका सिह दर्ज है। प्रार्थी की भूमि चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 3/2 के मु0 नं0 47 के किला नं0 11,22,23,24,25 की 5 बीघा भूमि मे प्रार्थी का नाम अजमेर सिह पुत्र थमन सिह किया गया है जो कि विभाजन द्वारा विभाजन करते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से प्रार्थी का सही नाम दर्ज न करके अजमेर सिह पुत्र थमन सिह दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम गुरमेल सिह पुत्र निका सिह है। अजमेर सिह पुत्र थमन सिह नाम का कोई आदमी नही है। प्रार्थी की इस भूमि मे प्रार्थी का नाम अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के स्थान पर गुरमेल सिह पुत्र निका सिह सही किया जाना न्यायोचित है।

यह भूमि प्रार्थी को उसके पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय उसके पिता से आई भूमि चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 3/2 के मु0 नं0 47 के किला नं0 11,22,23,24,25 की 5 बीघा भूमि मे अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के स्थान पर गुरमेल सिह पुत्र निका सिह किया जाना न्यायसंगत है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 खाता संख्या 3/2 के मु0 नं0 47 के किला नं0 11,22,23,24,25 की 5 बीघा भूमि मे प्रार्थी का अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के स्थान पर सही नाम गुरमेल सिह पुत्र निका सिह किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का चक 13 एच के द्वारा दिनांक 06.10.2016 को तैयार की गई फर्द मौका, गुरजन्ट सिह पुत्र गुरमेल सिह का शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 06.10.2016, दर्शन सिह पुत्र हरी सिह का शपथ पत्र, वोटर कार्ड संख्या 558042 दिनांक 15.04.1995,मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.1986, परिवार राशन कार्ड पेश किये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध मे पत्र क्रमांक 29 दिनांक 30.01.2019 से तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 126 दिनांक 15.03.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट, इन्तकाल संख्या 175 एवं 194 की प्रमाणित प्रति पेश की। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 खाता संख्या 3 के मु0 नं0 47 के किला नं0 11,22,23,24,25 की कुल 1.265 हैक्टर भूमि अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के नाम देहखातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 36 के खाता संख्या 26 के मु0 नं0 47,48,65 की कुल 18 बीघा भूमि हरी सिह, मिठन सिह, अजमेर सिह पिसरान थमन सिह जाति जटसिख के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2014 ता 17 के खाता संख्या 6 के मु0 नं0 29,30,47,48,63,64,65,94 की कुल 168.07 बीघा मे हरी सिह, मिठन सिह, अजमेर सिह पिसरान थमन सिह जाति जटसिख साकिन देहखातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 01.03.2001 विभाजन से अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के नाम मु0 नं0 47 की 1.265 हैक्टर रकबा प्राप्त

Reeni
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

हुआ है। पूर्व मे आवेदक अजमेर सिह पुत्र थमन सिह द्वारा मु0 नं0 47 की 1.265 हैक्टर भूमि अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के नाम एसबीबीजे केसरीसिहपुर के नाम रहन दर्ज है। आवेदक गुरमेल सिह के द्वारा विभाजन एवं रहन स्वंय द्वारा निष्पादन होना बताया है। राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत वह शुद्विया आती है जो राजस्व अभिलेख मे लिपिकिये भूल से कोई त्रुटि हुई है। उक्त राजस्व अभिलेख मे लिपिकिये भूल से कोई त्रुटि नही हुई है।

बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 3 के मु0 नं0 47 के किला नं0 11,22,23,24,25 की कुल 1.265 हैक्टर भूमि मे अंकित नाम अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के स्थान पर गुरमेल सिह पुत्र निका सिह किये जाने बाबत निवेदन किया है। इस संबंध मे प्रार्थी के द्वारा वोटर कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति पेश की है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह भूमि अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के नाम दर्ज होना अंकित किया है जो कि इन्तकाल संख्या 175 विभाजन द्वारा अजमेर सिह पुत्र थमन सिह से रकबा प्राप्त हुआ है यह इन्तकाल दिनांक 01.03.2001 को दर्ज हुआ है इसके उपरान्त यह रकबा अजमेर सिह पुत्र थमन सिह के द्वारा एसबीबीजे शाखा केसरीसिहपुर मे रहन दर्ज किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपने वोटर कार्ड एवं मूल निवास प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड मे नाम गुरमेल सिह पुत्र निका सिह अंकित होना दर्शाया है जो कि वर्ष 2001 से पूर्व के दस्तावेज है यदि प्रार्थी का सही नाम गुरमेल सिह पुत्र निका सिह है तो वह इस विभाजन इन्तकाल मे अपना नाम सही दर्ज करवाता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सन्देहास्पद है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार यह लिपिकिर्य त्रुटि नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी अपने दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं कर पाया की उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Reeni

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व},
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner